पंजीकृत पावती देय/Registered AD

सी/C-18

तदर्थ आधार पर/AD HOC BASIS

दिनांक/Dated\_\_\_\_\_



संख्या/ No.\_\_\_\_

#### क्षेत्रीय कार्यालय REGIONAL OFFICE कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

सेवा में/	Го			
1.	मैसर्स/M	/s	2.	श्री/Sh
				<del></del>
			-	<del></del>
			-	<del></del>
महोदय/]	Dear Sirs,			
				नियम, 1948 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा गया है) की धारा 39 के साथ
				बाने/ स्थापना के प्रधान नियोजक द्वारा यथा संशोधित कर्मचारी राज्य बीमा
	•		·	कर्मचारी के संबंध में नियोजक अंशदान तथा कर्मचारी अंशदान दोनों की
				नेयम, 1950 के विनियम 29, 31 तथा 33 के अनुसार, अंशदान, निर्धारित
कालावरि		•	C	ामा किया जाना अपेक्षित है जब तक कि इसके लिए अन्यथा न कहा गया हो।
rafarrad				ction 39 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (hereinafter stablishment covered under the Act, is required to pay, in respect of
				aployee's contribution at the rates specified in Rule 51 of the E.S.I
				equired to be paid in terms of Regulation 29,31 and 33 of the ESI
			k duly authorized by	the Corporation, except where otherwise provided, and within the
periods		n for the purpose.	निया १०६० के विनिया	26 के अधीन यथा-उल्लिखित अंशदानों की एक विवरणी प्रपत्र 6 में, बैंक में
जमा राधि			•	26 के जवान प्रयान्ति पर निगम के  शाखा कार्यालय में भेजी जानी है।
OI VII VIII			,	Form 6 along with receipted copies of Challans for the amounts
deposit				ation at the expiry of each contribution period as specified under
Regulat		the ESI (General) Regi		\
1.				। 31 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार अंशदान की अदायगी करने में
				ात्येक दिन के लिए अंशदान के बकायों पर प्रधान नियोजक द्वारा क.रा.बी. तक 6% प्रतिवर्ष की दर से 20.10.1989 से 31.08.1994 तक 12% प्रतिवर्ष
				तक ६% प्रातवेष की देर से 20.10.1989 से 31.08.1994 तक 12% प्रातवेष ' आगे 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय है। क.रा.बी. अधिनियम या उसके
				क.रा.बी. अधिनियम की धारा ४५ग से ४५झ के अधीन भू-राजस्व के बकाया
	ं की जाएर्ग		रता सा ज्यान वर्ग वसूरता	प्राताता. आवा विशे वर्ग वर्ग वर्ग सं चंद्री वर्ग अवा । तू संगति वर्ग ववर्गवा
47 ( 1	_		ributions in accordance	ce with Regulation 29 read with Regulation 31 of ESI (General)
_	ions 1950	); interest @ 6% per ar	num up to 19.10.1989	9 @ 12% w.e.f. 20.10.89 to 31.8.94 @ 15% from 1.9.94 to 30.9.05
				ne ESI (General) Regulations 1950 is also liable to be paid by the
				day of default or delay in payment of contributions. Any interest der may be recovered as arrears of land revenue under section 45 C
to 45 I	of the ESI	Act.		·
				5 निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के समक्ष प्रस्तुत की गई है और उस
पर विचा		उनके समक्ष यह विश्वास		
<b>C</b>				Director /Joint Director/Deputy Director/Asstt. Director of ESI
Corpora	(1)	on consideration where आपने काननी उपबंधों के		ieve:- गी तक अदायगी नहीं की है तथा अंशदान विवरणी भी नहीं भेजी है।
	(1)			ons as per provisions of the Law and have also not submitted return
		of contributions:-	F	······································
		से/From	तक / t	0
		से/From	तक / t	o त अवधियों के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में वास्तव में देय अंशदान के
	(2)	आप अपने रिकार्ड के आ	धार पर परिकलित उपयुक्त >> > =================================	त अवधियों के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में वास्तव में देय अशदान के
		किसी प्रकार के विवरण व		
		the above said periods		rs of the contributions actually due in respect of your employees for
	(3)			आपके कारखाने/स्थापना का दौरा किया था, उसके सामने आप देय अंशदान
		के संगत रिकार्डी को प्रस्	नुत करने में असफल रहे	₹I
		That you have failed	to produce the relevar	nt records of contributions payable, before the Insurance Inspector,
	<i>(</i> <b>1</b> )	who visited your factor	ory/establishment on	 दिनांक में यथा उल्लिखितसेसेसे
	(4)			दिनाक में यथा उल्लिखतकायों की अदायगी नहीं की है।
				काया का अदायगा नहीं का है। on for the period from
		to		office letter Nodated

3. कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 45क के अधीन यदि कोई कारखाना/स्थापना धारा 44 के उपबंधों के अनुसार किसी प्रकार की विवरणी, विवरण, रिजस्टर अथवा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करता, भेजता या रखता तो निगम इस संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर आदेश द्वारा कारखाना/स्थापना के कर्मचारियों के संबंध में देय अंशदान की राशि अवधारित कर सकता है तथा उक्त अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के अधीन वसूली की जा सकती है।

Please note that under Section 45-A of the Act, where in respect of a factory/establishment no returns, particulars, registers or records are submitted, furnished or maintained in accordance with the provisions of Section 44, the Corporation may, on the basis of information available to it, by an order determine the amount of contributions payable in respect of employees of such factory/establishment and the same can be caused to be recovered under Section 45 C to 45 I of the said Act.

4. तथा जबिक, अधिनियम की धारा 45क के अधीन आपके कारखाने/स्थापना के कर्मचारियों के संबंध में देय अंशदान की राशि अवधारित करने तथा वसूल करने का प्रस्ताव है जो निम्न प्रकार है:-

And whereas it is proposed to determine and recover the amount of contribution payable in respect of the employees of

your factory/establishment under Section 45 A of the Act as under:-

क्र.सं.	र्देयों की प्रकृति	अवधि	देय अंशदान की राशि	गणना का आधार
Sl.No.	Nature of dues	Period	Amount of contribution payable	Basis for calculation
1.	2.	3.	4.	5.

तथा, जबकि उक्त अवधारण तथा वसूली के विरुद्ध मैसर्स -----को कारण बताने का एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है।

And whereas it is proposed to afford M/s\_\_\_\_\_

an opportunity to show cause against the said determination and recovery.

Please show cause within 30 days hereof as to why assessment should not be made as proposed above. In case you have any objections, you are hereby given an opportunity to explain the same and / or to file a statement giving full particulars of the contributions actually due as per your records for the above said period within the time specified above. In case you desire to represent your case personally you may appear before the undersigned in person or through an authorized representative on \_\_\_\_\_\_ at \_\_\_\_\_\_AM/PM with necessary documents to explain your case.

5. कृपया ध्यान रखें कि जब तक आप उपर्युक्त निर्धारित समय के अंदर इस कार्यालय को संदर्भगत कालाविध के लिए वास्तविक देय बताते हुए ऊपर पैरा 4 में यथा उल्लिखित स्प टीकरण तथा/या कोई बयान प्रस्तुत नहीं करेंगे, यह कार्यालय गुण-अवगुण के आधार पर मामले में अगली कार्रवाई करेगा तथा अधिनियम की धारा 45क के अधीन एक आदेश पारित किया जाएगा तथा आपकी ओर से देय अंशदान की राशि अवधारित की जाएगी तथा देय राशि की अदायगी में चूक या विलंब के प्रत्येक दिन के लिए देय अंशदान के बकायों पर कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31क के अंतर्गत 19.10.1989 तक 6% की वार्षिक दर से, 20.10.1989 से 31.08.1994 तक 12% की दर से तथा 01.09.1994 से 30.09.05 तक 15% तथा 01.10.05 से 12% की वार्षिक दर से ब्याज सिहत उक्त राशि क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 45ग से 45झ के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

Please take notice that unless your explanation and/or a statement as mentioned in para 4 above giving the actual dues for the periods in question is submitted to this office within the time specified as above, this office shall proceed with the case on merits and an order shall be passed under Section 45 A of the Act determining the amount of contributions due from you together with the interest payable on the said amount for each day of default or delay in payment of contribution @ 6% per annum up to 19.10.1989, @ 12% w.e.f. 20.10.1989 to 31.08.1994 @ 15% from 1.9.94 to 30.9.05 and 12% from 1.10.05 onwards under Regulation 31 A of ESI (General) Regulations, 1950 and the same shall be recovered as arrears of Land Revenue under Section 45 C to 45 I of the Act.

भवदीय/yours faithfully,

\*जो लागू न हो उसे काट दें

\*Delete the part, which is not applicable.

सहायक/उपनिदेशक ASSTT./DY.DIRECTOR

टिप्पणी : यदि आप राशि की अदायगी पहले ही कर चुके हैं तो कृपया चालान संख्या, अदायगी की तारीख तथा बैंक का नाम सूचित करें।

NOTE: In case you have already paid the amount please intimate the Challan number, date of payment and the name of

यदि आप प्रधान नियोजक नहीं हैं या अब प्रधान नियोजक नहीं रहे तो आपसे निवेदन है कि आप के पद पर न रहने की तारीख सूचित करें।

In case you are not the Principal Employer or have ceased to be the Principal Employer, you are requested to intimate the date from which you ceased to be the Principal Employer.

चेतावनी: कृपया ध्यान रहे कि समय पर अंशदानों की अदायगी करने में विफल रहना अधिनियम की धारा 85 तथा 85ख के उपबंधों को प्रवृत्त करता है तथा आप अभियोजन तथा हर्जानों की अदायगी के भागीदार बन सकते हैं जो बकायों की राशि के बराबर हो

सकता है।

WARNING: Please note that failure to pay contributions in time attracts provisions of Sec.85 and 85 B of the Act, rendering you liable for prosecution and payment of damages which may be equal to the amount of arrears.

अनुलग्नक -क Annexure -A पंजीकृत पावती देय Regd.A.D. सी-18 वास्तविक आधार पर C-18 Actual Basis

दिनांक/Date\_\_\_\_\_



संख्या/No:

# क्षेत्रीय कार्यालय REGIONAL OFFICE कर्मचारी राज्य बीमा निगम

## **EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**

सेवा में/I	`o									
	1.	श्री/Sh								
	2.	मैसर्स /M/s								
महोदय/[	Dear Sir,									
(केन्द्रीय) अदायगी कालाविध referred every er (Central (Genera	रा 40 के नियम, 19 की जानी ा के अंदर, I have to to as the mployee, ) Rules, I l) Regula	अधीन, अधिनियम 950 के नियम 51 अपेक्षित है। कर्म इस प्रयोजन के वि o state that und Act), the Princip both the employ 1950 (as amend	न के अंतर्गत में उल्लिखित वारी राज्य बी लए निगम द्वार er Section 4 pal Employe yer's contrib ed). The co a bank duly	व्याप्त किर व दरों पर, मा (साधार I प्राधिकृत IO, read w or of the fa outrion and	नी कारखाने. प्रत्येक कर्म ण) विनिय बैंक में जमा rith Section actory/estal the emploss are requ	/ स्थापना के प्रध् चारी के संबंध म, 1950 के वि किया जाना अपे n 39 of the En Dishment cove oyee's contribu ired to be paid	न बाद इसे अधिनि यान नियोजक द्वार में नियोजक अंद नियम 29, 31 तथ् ोक्षित है जब तक f mployees' State ered under the A ution at the rates d in terms of Re except where of	ा यथा संशो ादान तथा क ग 33 के अन् के इसके लिए Insurance ct, is requir s specified i	धित कर्मचारी र्मचारी अंशद रुसार, अंशदा र अन्यथा न व Act, 1948 ( ed to pay, ii in Rule 51 ( 9,31 and 33	ा राज्य बीमा जन दोनों की न, निर्धारित हहा गया हो। (hereinafter n respect of of the E.S.I of the ESI
1-	कार्यालय A return the Bank	को बैंक में जमा व of contribution	कराई गई राठि s is to be sub Office of the	ा के प्राप्ति omitted in e Corporat	चालानों की Form-6 al ion at the	प्राप्तियों सहित ongwith receip expiry of each	, 1950 के विनियम प्रपत्र 6 में अंशदान oted copies of ch contribution pe	ा विवरणी भी allans for t	भिजवानी हो he amount d	ती है। leposited in
2.	अवधियों है। It is regr	की अंशदान राशि etted that you h out by this of	यों का कानूनी nave so far n	प्रावधानों ot paid th	के अनुसार e Contribu	अब तक भुगता ution as per pr	दिनांक ਜ ਜहੀਂ किया है तध ovisions of Law and have	या अंशदान वि for the per	वंबरणी भी प्रर riod (s) give	स्तुत नहीं की on below as
	(i)		से		तक					
		From		to			Rs			
	(ii)		से		तक	<del></del> रु0				
							Rs			-
	(iii)		से		तक	₹70				
							Rs			
	(iv)		से		तक	₹0				
		From		to			Rs			

- 2- कृपया नोट करें कि अधिनियम के अंतर्गत कोई भी देय अंशदान क.रा.बी अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के तहत वसूल किया जाएगा। Please note that any contribution payable under the Act may be recovered under Section 45 C to 45 I of the Act.
- 4. कृपया यह भी नोट करें कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार अंशदान अदा करने में विफलता की स्थिति में अधिनियम की धारा 39(5) के अंतर्गत देरी/चूक के हरेक दिन के लिए बकाया अंशदान पर 12% वार्षिक दर से ब्याज देय हो जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 39(5) के अंतर्गत किसी भी देय ब्याज की कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के अंतर्गत वसूली की जाएगी।

It may also please be noted that in case of failure to pay contributions in accordance with Regulation 29, read with Regulations31 of the ESI (General) Regulations 1950, interest @ 12% per annum becomes payable under Section 39(5) of the Act on arrears of contributions for each day of default or delay in payment of contributions. Any interest payable under Section 39 (5) of the act may be recovered under Section 45 C to 45 I of the Act.

2. कृपया ध्यान रहे कि यदि अद्यतन बकाया अंशदान का भुगतान इस सूचना के 15 दिन के अंदर न किया गया तो यह कार्यालय क.रा.बी. अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के अंतर्गत देय राशि को ब्याज सहित वसूल करने हेतू बाध्य होगा ।

Please take notice that unless contributions outstanding upto date are paid immediately and in any case within 15 days thereof under intimation to this office, this office will be constrained to cause the same to be recovered under Section 45 C to 45 I of the Act.

भवदीय/Yours faithfully,

### सहायक/उप निदेशक/ASSTT./DY.DIRECTOR

टिप्पणी : यदि आपने इस राशि का भुगतान पहले ही कर दिया है तो कृपया बैंक का नाम, चालान संख्या व भुगतान की तारीख सूचित

करें। यदि आप प्रधान नियोजक नहीं हैं अथवा प्रधान नियोजक नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है कि जिस तिथि से

आप प्रधान नियोजक नहीं रहे, सूचित करें।

NOTE: In case you have already paid the amount please intimate the Challan number date

of payment and the name of the bank. In case you are not the Principal Employer or have ceased to be the Principal Employer, you are requested to please intimate the date from which you ceased to be the Principal

Employer.

चेतावनीः कृपया नोट करें कि समय पर अंशदान का भुगतान करने में विफलता अधिनियम की धारा ८५क और ८५ख की व्यवस्थाओं

को आकर्षित करती है और आपको बकाया राशि के बराबर हर्जाने और अभियोजन का भागी बनाती है।

WARNING: Please note that failure to pay contributions in time attracts provisions of Sec.85 A and 85 B of the Act,

rendering you liable for prosecution and payment of damages which may be equal to the amount of arrears.



# क्षेत्रीय कार्यालय REGIONAL OFFICE कर्मचारी राज्य बीमा निगम

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या	/No			Í	देनांक/Dated	_
सेवा मे	Η̈́/Το					
	मैसर्स/M	/I/s				
			8 के उपबंधों के अधीन अनुपा provisions of ESI Act, 1			
क.रा. करने Regu	बी. अधिनि के लिए श I have	सूचित किया जाता ग्यम की धारा 39(: क्तियां प्रदान की ग to inform you tl	5) के अधीन निगम को अंश ई हैं। hat U/S 39(5) of the ES	दान की विलंब से अव I Act, read with Re	1950 के विनियम 31क के स रायगी किए जाने पर ब्याज व egulation 31 A of ESI (C erest on the delayed pay	ठी वसूली General)
पर प्रध् दर से आगे 1 ब्याज ESI ( 31.8.9 (General	गी करने मे यान नियोज , 20.10.19 2% प्रतिव की वसूली In case (General) 94 @ 159 eral) Regu ach day of lations fra	i विफल रहने पर 3 क द्वारा क.रा.बी. व 989 से 31.08.1994 र्व की दर से ब्याज दे क.रा.बी. अधिनिय of failure to pay Regulations, 19 % from 1.9.94 to ulations,1950 is a f default or delay	मंशदानों की अदायगी करने व (साधारण) विनियम, 1950 के तक 12% प्रतिवर्ग की दर र देय है। क.रा.बी. अधिनियम म की धारा 45ग से 45झ के 3 y contributions in accord 50; interest @ 6% per a o 30.9.05 and 12% from also liable to be paid by the y in payment of contribut	में चूक या विलंब के प्र त विनियम 31क के अंद या उसके अधीन बनाये अधीन भू-राजस्व के ब्रु ance with Regulation annum up to 19.10. 1.10.05 onwards un he principal employ ions. Any interest	त विनियम 29 के अनुसार अंद त्येक दिन के लिए अंदादान वे तर्गत 19.10.1989 तक 6% प्र 30.09.05 तक 15% तथा 1. गए विनियमों के अधीन देय काया के रूप में की जाएगी। on 29 read with Regulation 1989 @ 12% w.e.f. 20.1 nder Regulation 31 A of ver on the arrears of contr payable under the ESI Ac	त बकायों तिवर्ष की 10.05 से किसी भी on 31 of 10.89 to the ESI ibutions ct or the
के अन् intere	नुसार Since y	you have failed to	रु.	ब्याज की अदायगी अपे within the stipulated	हे हैं, आपके द्वारा नीचे दिए र मिक्षत है:- d period, you are required	
	क्र.सं. Sl.No.	मजदूरी अवधि Wage Period	देय अंशदान Contribution Payable	विलंब की अवधि Period of Delay	ब्याज की राशि Amount of Interest	

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक की ओर दिलाया जाता है और सूचित किया जाता है कि आपने अभी तक ब्याज के रूप में रु. की राशि जमा नहीं की है।  I have also to invite your attention to this office letter of even No. dated on the above subject and to inform you that you have not deposited the amount of Rs towards the interest so far.
अतः आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त परिकलित ब्याज रु.
अतः आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त परिकलित ब्याज रु. तथा रु. का बकाया भी चालान पर आवश्यक अभ्युक्ति देते हुए भारतीय स्टेट बैंक में शीघ्र जमा करा दें।
You are, therefore, requested to please deposit the interest of Rscalculated as above and also arrears of Rsin the State Bank of India, giving necessary remarks on the Challan form immediately.
कृपया ध्यान रखें कि उपरिलिखित ब्याज की राशि का शीघ्र अथवा किसी भी स्थिति में इसके 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करते हुए भुगतान न किए जाने पर यह कार्यालय यथा संशोधित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 की धारा 45 ग से 45 झ के अधीन या भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलने के लिए बाध्य होगा।  Please take notice that unless interest amounts as mentioned above are paid immediately or in any case within 15 days hereof under intimation to this office, this office will be constrained to cause the same to be recovered as an arrears of land revenue or under Section 45 C to 45 I of the ESI Act, 1948, as amended.
भवदीय/Yours faithfully,
सहायक/उपनिदेशक <u>ASSTT./DY.DIRECTOR</u>

टिप्पणी : यदि आपने राशि अदा कर दी है तो कृपया चालान संख्या, भुगतान की तारीख तथा बैंक का नाम सूचित करें।

NOTE : In case you have already paid the amount please intimate the Challan number date of payment and the name of the bank.

यदि आप प्रधान नियोजक न हों अथवा इस बीच प्रधान नियोजक न रहे हों तो कृपया अपने प्रधान नियोजक न रहने की तारीख सूचित करें।

In case you are not the Principal Employer or have ceased to be the Principal Employer, you are requested to please intimate the date from which you ceased to be the Principal Employer.

पंजीकृत पावती देय Registered AD सी/C-19 ब्याज वसूली प्रमाण-पत्र Recovery Certificate of Interest



## क्षेत्रीय कार्यालय REGIONAL OFFICE कर्मचारी राज्य बीमा निगम

## EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या/No	
सेवा में/To	वसूली अधिकारी, The Recovery Officer, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI Corporation
विषय:	से तक की अवधि के अंशदानों का भुगतान विलंब से करने पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (यथा संशोधित) की धारा 45ग से 45झ के अंतर्गत मैसर्स से ब्याज की वसूली।
Subject:	Recovery of interest on delayed payment of contribution for the period from to u/s 45 C to 45 I of the ESI Act, 1948 (as amended) for Rs against M/s.
महोदय/Sir,	
मैसर्स श्री	और प्रधान नियोजक
क.रा.बी.( साध	गरण) विनियम, 1950 के विनियम 31 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम की धारा 39(5) के तक की अविध हेतु देय ब्याज का
भुगतान करने में M/s _	असफल रहे हैं।and the
Principal Emp ESI Act re	have failed to pay the interest payable under Section 39 (5) of the ad with Regulation 31 of the ESI (General) Regulations, 1950 for the period to
	अधिनियम की धारा 39(5) के अनुसार आपसे निवेदन है कि कारखाना/स्थापना/प्रधान नियोजक #—(केवल रुपए) की राशि
हस्ताक्षरकर्ता t.k.s	
Rs factory/establ	cordance with Section 39(5) of the said Act, you are requested to recover an amount of(RupeesOnly) from the ishment/principal employer and deposit the same in State Bank of India for credit to ESI Fund 1, under intimation to the undersigned. This may please be done by challan quoting code no.
	er which is  भवदीय/Yours faithfully,

सहायक/उपनिदेशक ASSTT./DY.DIRECTOR

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-Copy forwarded to:



## क्षेत्रीय कार्यालय REGIONAL OFFICE कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या ,	/No:
्री का प्रि	From:- प्राधिकृत अधिकारी/The Authorised Officer, क.रा.बी. निगम, /ESI Corporation,
सेवा में	/To, वसूली अधिकारी /Recovery Officer क.रा.बी. निगम/ESI Corporation,
विषय:-	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (यथा संशोधित) की धारा 45ग से 45झ के अधीन अंशदानों की वसूली के लिए आवेदन।
	मैसर्स के प्रधान नियोजक के विरुद्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा
C.J.	से <u>12%</u> वार्षिक की दर से ब्याज का दावा।
Sub:	Application for the recovery of contribution under Section 45 C to 45 I of the ESI Act, 1948 (As Amended)
	(As Amended)
महोदय	/Sir
	मैसर्सनामक कारखाना/स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) के उपबंधों के अधीन व्याप्त है।  The Factory/establishment M/sis covered under the provisions of ESI Act (hereinafter referred to as the Act.)
3-	अधिनियम के अध्याय 4, अध्याय 5 तथा 6 के उपबंधकी सीमाओं के अंदर आने वाले क्षेत्रों में लागू किए गए हैं और इन क्षेत्रों में स्थित अधिनियम के अंतर्गत व्याप्त कारखानों/स्थापनाओं के लिए, अपने प्रधान नियोजक के माध्यम से अधिनियम की धारा 40 के अधीन, कर्मचारियों के संबंध में, कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य ) नियम, 1950 (यथा-संशोधित) के नियम 51 में विनिर्दिष्ट दरों पर देय अंशदान का भुगतान, जिस कैलेण्डर माह में यह देय हो उसके अंतिम दिन
3.	से 21 दिन के अंदर जमा करना अपेक्षित है, जैसा कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31 में अधिकथित है।  The provisions of Chapter IV, Chapter V and VI of the Act are enforced in the areas falling within the limits of

4.	अंशदान की उपर्युक्त देय राशि नोटिस के बाद तथा उचित जाँच पड़ताल और निगम के पास उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर नियत की गई है।							
	The amount of contribution payable as aforesaid has been determined after notice and reasonable enquiry and on the basis of records available with the Corporation.							
5.	उपर्युक्त कारखाना/स्थापना तथा प्रधान नियोजक अनुस्मारक देने के बाद भी उपर्युक्त अविध के लिए अंशदान अदा करने में विफल रहे हैं। आवेदक निवेदन करता है कि कुलरु० (केवलरुप्ण) की							
	राशि तथा इस राशि पर दिनांकसे वसूली की तारीख तक 12% वार्षिक की दर सेरु. (केवल							
	है) की अधिनियम की धारा 45ग से 45झ के अधीन वसूली की जाए तथा इसे आवेदक को सूचित करते हुए कर्मचारी राज्य							
	बीमा निगम निधि लेखा संख्या 1 में क्रेडिट करने के लिए जमा किया जाए। इस राशि को चालान द्वारा जमा किया जाए जिस पर							
	नियोजक की कूट संख्यािलखी जाए। इसे भारतीय स्टेट बैंक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के खाता संख्या-1							
	में जमा किया जाए और कोई बैंक व्यवस्था मौजूद न होने पर इसे क्षेत्रीय निदेशक के पास जमा कराएं।							
	The above named factory/establishment and the principal employer failed to pay the contributions for the above period inspite of reminders. The applicant prays that the total amount of Rs							
	( Rupeesonly) plus further amount of interest @ 12% per annum calculated on the amount, @ Rs per day fromto the							
	date of recovery (plus collection charges of the bank, if the payment is made by cheque) as being due to							
	Employees' State Insurance Corporation from the said principal employer, may be recovered under Section							
	45 C to 45 I of the Act and remitted to the credit of the Employees' State Insurance Fund Account No.1 under advice to the applicant. This may please be done by challan quoting Code No. of the employer which							
	is The amount/cheque may be deposited in SBI A/C No. 1, where the Employees' State							
	Insurance Fund Account is operated or may be deposited with the Regional Director concerned where no							
	banking arrangement is in existence.							
6.	कारखाना/स्थापना दिनांकसे अनंतिम रूप से व्याप्त किया गया है और यदि इसके बाद इसे किसी पूर्व तारीख							
	से व्याप्ति योग्य पाया गया तो व्याप्ति की अनंतिम तारीख, जिसके लिए राशि का दावा प्रमाण-पत्र कार्यवाहियों में किया गया है,							
	से पहले की देय राशि की पार्टी से वसूली का दावा करने का निगम का अधिकार सुरक्षित रहेगा।  The factory/establishment has been provisionally covered with effect fromand if it is found to							
	be covered subsequently from any prior date, the Corporation reserves the right to demand recovery of any							
	amount that may be due from the party prior to the provisional date of coverage for which amount has been							
	claimed in this certificate proceedings.							
7.	इस राशि का दावा इस कार्यालय के समसंख्यक आवेदन दिनांकद्वारा पहले किए गएरुपए की राशि के दावे के अतिरिक्त है।							
	This demand is in addition to the marriage demand for De (De							
	This demand is in addition to the previous demand for Rs(Rs							
	भवदीय/Yours faithfully,							
	Hadia/Tours fauntiny,							
	सहायक/उप निदेशक							
गविलि	ASSTT./DY.DIRECTOR  प्रे /Copy to:							
AIGHGH	ч леору ю.							
श्री/श्रीम	ती/Shri/Smt							
मैससे/1	M/s							
<del>2 C</del>	thora faith a river at the No.							
वामा ।न	रीक्षक, डिवीजन संख्या /I.I.Div.No							



## क्षेत्रीय कार्यालय

## REGIONAL OFFICE कर्मचारी राज्य बीमा निगम

## $\underline{\text{EMPLOYEES'}} \text{ STATE INSURANCE CORPORATION}$

संख्या/1	No		दिनांक/Dated
		नोटिस	
1	44	<u>NOTICE</u> 	<del></del>
1.	जिस पर (नियोज	र क.रा.बी. अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं तथा जि क शेयर तथा कर्मचारी शेयर) अदा करना अपेक्षित	ानके लिए क.रा.बी. अधिनियम की धारा 40 के अनुसार अंशदान न है और जिन्होंने संलग्न विवरण में दिए गए ब्योरे के अनुसार
		ा. आधानयम के अधान बनाए गए के.रा.बा.(साधारण) का भुगतान करने में चूक की है/अंशदान का भुगतान व	विनियम, 1950 में यथा निर्धारित रीति और तय समय के भीतर करने में विफल रहे हैं।
	share) i making	in accordance with Section 40 of the ESI Act at g the payment of the contributions within the	a factory/establishment to whom the provisions of ay the contributions (Employer's share and Employees and have failed to pay the contributions/made a default in the stipulated time and manner prescribed in the ESS per the details furnished in the enclosed statement.
2.	क.रा.बी	ा. अधिनियम की धारा ८५(ख)(झ) के साथ पठित क.र	र्ग.बी.(साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 31ग के उपबंधों के
	_	ं व इनके अंतर्गत मैसर्स । प्रस्ताव है।	से हर्जाना निर्धारित किए जाने और वसूले
			rom M/sdamages as per and under
	the pro	ovisions of the Regulation 31 C of ESI (Generation)	al) Regulation, 1950 read with Section 85(B) (I) of the
3.	मैसर्स		को निर्धारण
		ाूली के विरुद्ध कारण बताने का एक अवसर प्रदान करने	
			an opportunity to show cause
4.	against अब उक्ट	the determination and recovery. न कारखाना/स्थापना के नियोजक के रूप में	निवासी श्री
			-कृपया 15 दिनों के भीतर कारण बताएं कि उन पर पीछे/संलग्न
			अधिकतम, उक्त विवरण के कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित रार्टि
		ना क्यों न लगाया जाए और वसूला जाए।	
	Now S	ShriR/	O as the employer of
	percent	*	cause within 15 days why damages to the extent of on the reverse/enclosed, subject to the maximum of the ay not be imposed and recovered.
5.	यदि ऊप	ार संदर्भित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो की कार्रवाई गुण-दोष के आधार पर की जाएगी।	गा तो यह माना जाएगा कि कोई उत्तर नहीं देना है और हर्जान
	If no re	eply is received within the period as referred to ion to recover the damages will be taken on me	above, it will be presumed that no reply is intended and rits.
6.	यदि श्री		अपना मामला व्यक्तिगत रूप
			को
			रखने के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित हों। उनके
			थत होने में असमर्थ रहने की स्थिति में यह माना जाएगा कि वे खेत अभिवेदन पर विचार करने के बाद, मामले में गुण-दो 1 के
		ार जुनवाइ नहा चाहरा है और उनके द्वारा ब्रेस्सुरा हो। गर निर्णय लिया जाएगा।	जा जानवदरा पर विवार करना के बाद, नानत न मुरा दा । व
			sent his case in person he may appear before the
	undersi he fails persona	igned onatA.M s to attend the personal hearing on the above da	L/P.M. with necessary documents to explain his case. It ate and time it will be presumed that he does not want as merits after taking into consideration the written
			सहायक/उप/संयुक्त/क्षेत्रीय निदेशक
सेत	त्रा में/TO		ASSTT./DY./JT./ REGIONAL DIRECTOR
1.	11 1/10	मैसर्स/M/s	
2.		प्रधान नियोजक(नाम से)Principal Employer (by	name)
		(o)	,

# विवरण STATEMENT

क्रम संख्या Sl. No.	मजदूरी अवधि Wage period	अंशदान की राशि Amount of contribution	भुगतान हेतु नियत तारीख Due date	भुगतान की वास्तविक तारीख	भुगतान में विलंब की अवधि वर्ष/माह/दिन Period of Delay in Pmt.	वाले हर्जाने की प्रतिवर्ष प्रतिशत दर Rate of damages
			for payment	Actual Date of payment	Y./M./D.	Leviable in % per annum of the amount due
1	2	3	4	5	6	7

पंजीकृत पावती देय

ਤੀ/D-19



# क्षेत्रीय कार्यालय REGIONAL OFFICE कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

संख्या/No		दिनांक/Dated	
सेवा में/To	वसूली अधिकारी,		
	वसूरा। जाववास्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,		
	The Recovery Officer,		
	ESI Corporation		
वि ायः	कर्मचारी राज्य बीमा निगम को विलंबित अदायगी करने पर क.रा वसूली।	बी. अधिनियम की धारा ८५ख के अधीन ह	हर्जानों की
Subject:	Recovery of damages under Section 85 B of the ES the ESI Corporation.	I Act for delayed payment of	
महोदय/Sir,	£		
भैसर और गशान	र्न नियोजक श्री का देय अंशदान का विलंब से भुगतान करने के लिए क.रा.बी. अधि	<u></u>	 கி
समाप्त अवधि	का देय अंशदान का विलंब से भगतान करने के लिए क.रा.बी. अधि	्। नेयम. १९४८ यथा-संशोधित की धारा ८५५	यंग ख के साथ
पठित विनियम	म ३१ग के अंतर्गत लगाए गए हर्जाने की राशि र	पये (केवल	
	तान नहीं किया है।		
		and the I	Principal
Employer	named har har	ve not paid the damages amou	nting to
Rs.	(Rs) levied unde	Regulation 31 C read with Secti	ion 85 B
	loyees' State Insurance Act, 1948 as amended, for delay		
me commot	ution period ending on अधिनियम की धारा 85ख (2) के अनुसार आपसे निवेदन है कि कार	खाना/स्थापना/प्रधान निर्योजक से	रुपरो
	रुपए) की राशि की वसूली करें अं		
	म के खाता संख्या 1 में जमा करें और इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी		
	है, का उल्लेख करते हुए किया जाए।		
	accordance with Section 85 B(2) of the said Act you	are requested to recover an an	nount of
	(Rs)	<del>-</del>	
_	Employer and deposit the same in approved Branch		
	'State Insurance Fund Account No. 1 under intimation		lease be
done by Ch	allan quoting Code No. of the employer which is	·	
सह १	थनराशि किसी भी सरकारी खजाने में जमा न की जाए।		
	amount should not be deposited in any Govt. Treasury.		
1110	amount should not be deposited in any cover freezery.		
	मांग इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांकद्वारा दावा की रुपए) की पिछली मांग के अतिरिक्त है।	गईरुपये (केवल	
	s demand is in addition to the previous demand of Rs	(Rs.	)
	le this office application of even no. dated		
		91-1-11/Vanua faithfully	
		भवदीय/Yours faithfully,	
		सहा./उप/संयुक्त निदेशक	
		ASSTT./DY./JT. DIRECTOR	
प्रतिलिपि निम्न	ालिखित को सूचनार्थ प्रेषितः		
Copy forwa	arded for information to:		
बीमा निरीक्षक	कीमा प्रभाग, क.रा.बी. निगम।		
Insurance I	nspector. Inspection Division, ESI Co.	poration.	

सी/C-20



# कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

મહ્યા	/No । निराक्षण कायालय/Inspection Office
मैसर्स	/M/s स्टेशन/Station
	 दिनांक/Date
वि ायः Subje	
महोदर	U/Sir,
तैयार follov	मैं दिनांकको क.रा.बी. अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत आपके कारखाने का निरीक्षण करने के आऊंगा। कृपया दिनांकसेतक की अविध के निम्निलिखत अभिलेख (रिकार्ड) निरीक्षण के लिए रखे जाएं:-  I shall be visiting your factory for inspection under section 45 of the E.S.I. Act on The wing records for the period fromtomay be kept readily available for my hination:-
क) a)	हाजिरी पंजिका, मजदूरी रजिस्टर, रोकड़ बहियां, ठेके के कर्मचारियों का रिकार्ड, लैजर एवं वाउचर। Muster Roll, Wages Register, Cash Books, Contractor's Employees' Records, Ledger &Vouchers.
ख) b)	भुगतान किए गए अंशदान के चालान की प्रतियां। Copies of Challans for contribution paid.
ग) c)	विनियम 102-क. के अंतर्गत निरीक्षण पुस्तिका। Inspection Book under Regulation 102-A.
ਬ) d)	विनियम 32 के अंतर्गत कर्मचारियों का रजिस्टर। Employees' Register under Regulation 32.
롱) e)	विनियम 66 के अंतर्गत दुर्घटना पुस्तिका। Accident Book under Regulation 66.
ਹ) f)	अंशदान अवधि की अंशदान विवरणियां एवं घोषणा प्रपत्र विवरणी। Returns of Contribution for Contribution periodsReturn of Declaration Forms.
ন্ত) g)	कारखाना/स्थापना के गठन के बारे में संबंधित दस्तावेज। Relevant documents regarding constitution of the Factory/establishment.
ਗ)	क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के अंतर्गत रोजगार, मजदूरी का भुगतान एवं अंशदानों के भुगतान से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज।
h)	All other documents pertaining to employment, payment of wages and payment of contribution under the E.S.I.Act, 1948.

भवदीय/Yours faithfully,



## कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION बीमा निरीक्षक के अलावा किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट INSPECTION REPORT BY AN OFFICER OTHER THAN I.I.

## भाग-क PART-A

1.	क्षेत्र		
	Regio	on	
2.	( <u>क</u> )	कारखाने का नाम व पता	
	(a)	Name & Address of the Factory	
		·	
	(ख)	कूट संख्या	
	(b)	Code No.	
	( <u>11</u> )	की जा रही विनिर्माण प्रक्रिया/कारोबार की प्रकृति	
	(c)	Nature of Manufacturing process/Business	
		carried on	
3.	(क)	बीमा निरीक्षक का नाम जिन्होंने निरीक्षण किया था	
	(a)	Name of the I.I. who had conducted the	
		Inspection	
	( <del></del> )		
	(ख)	बीमा निरीक्षक द्वारा किए गए निरीक्षण की तारीख व	
	(b)	अवधि	
		Date & period of inspection conducted by I.I.	
	(77)	बीमा निरीक्षक द्वारा जाँचे गए सामान्य लैज़र की अवधि	
	(1J)		
	(c)	Period of General Ledger checked by I.I.	
4.	(ক)	निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम	
••	(a)	Name & Designation of the Officer conducting	
	(a)	Inspection.	
	(ख)	ऐसे निरीक्षणों की तारीखें	
	(b)	Date (s) of such inspection	
	` '	· · ·	
	(11)	निरीक्षण के लिए चुनी गई अवधि	
	(c)	Period chosen for inspection	
	(ঘ)	विस्तृत निरीक्षण के लिए चुनी गई अवधि	
	(d)	Period chosen for detailed inspection	
		1	
	(亨)	लैज़र सत्यापन के लिए चुनी गई अवधि	
	(e)	Period chosen for ledger verification.	
5.		निरीक्षण के लिए संपर्क किए गए कारखाने के कार्मिक का	
٥.			
		नाम व पदनाम	
		Name & designation of official of the factory	
		contacted for inspection	

# भाग-ख PART-B

1.	कारखान	के स्वामित्व की प्रकृति			
		of ownership of the Factory			
2.	(ক)	प्रधान नियोजक का नाम/पदनाम/पता			
	(a)	Name of Principal Employer/Designation/Address			
	(ख)	प्रबंधक/अधिष्ठाता का नाम व पता			
	(b)	(कारखाना निरीक्षक द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार)			
		Name & Address of the Manager/Occupier (as per declaration of Inspector of Factories)			
3.	रिकार्ड	। पर उपलब्ध पिछली सूचना से कारखाने के स्वामित्व में कोई			
		हुआ है, यदि हाँ, तो परिवर्तन की प्रकृति तथा तारीख			
		er there has been any change in the ownership of the			
		since the last information available on the record,			
	if so, da	ate and nature of the change.			
4.	क्या क	रा.बी. अधिनियम के अधीन कारखाने की व्याप्ति के संबंध में			
7.		रा.बा. आयानयम के अधान कारखान का व्याप्त के संबंध में   रेवर्तन हुआ है।			
		er there has been any change in regard to the			
		ge of the factory under the ESI Act.			
5.	(ক)	कारखाना परिसर से बाहर स्थित कोई कार्यालय या विभाग			
	(a)	Offices or departments, if any situated outside the			
		factory premises.			
	(ख)	क्या इन विभागों तथा कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्ति			
	(b)	व्याप्त हैं।			
		Whether the persons working in these departments			
		and offices are covered.			
	( <del>1</del> )	इन कार्यालयों या विभागों में किए जा रहे कार्य की प्रकृति			
	(c)	Nature of work done in these offices or departments.			
6.	आसन्म '	नियोजकों को सौंपे गए कार्य की प्रकृति			
	Nature of work entrusted to immediate employers.				
	( <del>E</del> )	कारखाना परिसर में			
	(क) (a)	At Factory Premises			
	(a)	7 to Factory Freninses			
	(ख)	कारखाना परिसर के बाहर			
	(b)	Outside the Factory premises			
7.	क्या थार	। सन्न नियोजकों के अधीन काम करने वाले व्यक्ति व्याप्त हैं।			
′		er the persons working under immediate employers are			
	Covere	<u> </u>			
	(ক)	कारखाना परिसर में			
	(a)	At Factory Premises			
	(ख)(b)	कारखाना परिसर के बाहर			
		Outside the Factory premises			

8. निरीक्षण की तारीख को प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों की संख्या No. of employees employed directly by the Principal Employer on the date of inspection.

			व्याप्त	अव्याप्त	अव्याप्त होने के संक्षिप्त कारण
			Covered	Uncovered	Brief reasons for not covered
	( <u>a</u> )	कारखाना परिसर में			
	(a)	At factory premises:			
		(1) प्रशासनिक कार्यालयों में (i) Administrative Offices			
		(i) Administrative Offices (2) कारखाने में			
		(ii) Factory side			
		(3) अन्य में संक्षिप्त विवरण			
		सहित			
		(iii) Others, with brief			
		description thereof			
	(ख)				
	(b)	कारखाना परिसर से बाहर			
		Outside the factory premises (1) प्रशासनिक कार्यालयों में			
		(i) Administrative Offices			
		(2) कारखाने में			
		(ii) Factory side			
		(3) अन्य में संक्षिप्त विवरण सहित			
		(iii) Others, with brief			
		description thereof			
			<u> </u>		
	(a)	आसन्न नियोजकों द्वारा नियोजित कर्मच			
	(c)	No. of employees employed throu	ष्ट्रा गागाविकाः व्याप्त	अव्याप्त	अव्याप्त होने के संक्षिप्त कारण
			Covered	Uncovered	Brief reasons for not covered
		(1) कारखाना परिसर में			
		(i) At factory premises:			
		(2) कारखाना परिसर से बाहर (ii) Outside the factory			
		premises			
		1			
	(ঘ)	क्या उपर्युक्त (1) तथा (2) पर उल्लिखित कर्मचारियों के बारे में			
		अनुपालन प्रधान नियोजक द्वारा किया			
		जाता है या आसन्न नियोजक द्वारा			
		पृथक कूट संख्या के अंतर्गत, यदि उसे			
		आबंटित किया गया है तो			
	(d)	Whether compliance in			
		respect of employees as at (i) & (ii) above are made through			
		principal employer or under the			
		separate code no. of the			
		immediate employer allotted, if any.			
9.		नेयुक्ति के तत्काल बाद अस्थाई, एवजी			
		अनियत सभी कर्मचारियों के नाम			
		यति रजिस्टर में लिखे जाते हैं।			
		ther names of all employees ding temporary, substitute and			
		al are brought to attendance			
	register immediately after				
	appo	intment.			

10	कर्मचारि	रेयों की प्रकृति और संख्या जिनके
		जदूरी रजिस्टरों में नहीं लिखे जाते
		जन्हें वाउचरों के माध्यम से भुगतान
	किया उ	
		No. of employees whose names
		brought on wages registers and
		n payment is made through vouchers
11.		गजदूरी की निम्नलिखित मदों का
		किया गया है और इन्हें शामिल किया
	है यानि	उन्हें मजदूरी पंजिका में दर्शाया गया
	है।	
		er the following Items of wages
	_	d accounted for i.e. whether they are
	snown 1	in the wage roll.
	(ক)	समयोपरि मजदूरी
	(a)	Overtime wages
	(ख)	मकान किराया भत्ता
	(b)	House Rent Allowance
	(刊)	छुट्टी की मजदूरी
	(c)	Leave wages
	<u>(ঘ)</u> (ঘ)	बोनस, बोनस के प्रकार का संक्षिप्त
	(d)	विवरण
	` /	Bonus, Brief description of the type
		of bonus.
	(ਤ.)	मानदेय, अनुग्रह तथा अन्य भुगतान
	(e)	जो नियमित मजदूरी के भाग के रूप
		में नहीं हैं।
		Honorarium, exgratia and other
		payments not forming part of
12.		regular wages. क्या मद संख्या 11 के अंतर्गत
12.		
		उल्लिखित भुगतान की मदों में से
		कोई मद 'मजदूरी' की परिभाषा के
		अंदर नहीं आती, यदि हॉ तो संक्षिप्त
		कारण बताएं।
		Whether any of the items of
		payment referred to under item No.  11 does not fall within the definition
		of the term "wages", if so, brief
		reasons thereof.

# भाग-ग PART-C

1. अंशदान (नियोजक तथा कर्मचारी का)

Contribution (Employer's and Emplyees's)

Controdución (Emproyer's and Empryces's)			
अंशदान अवधि/माह		देय अंशदान की राशि	
Contribution period/		Amount of contribution payable	
month			
	बीमा निरीक्षक की गणना के	निरीक्षण करने वाले अधिकारी की गणना	विसंगतियों के कारण, यदि
	अनुसार	के अनुसार	कोई हो
	As per calculations of	As per calculations of the officer	Reason for
	InsuranceInspector	conducting inspection	discrepancies, if any

2. नियोजक द्वारा अंशदान की अदायगी में चूक

Defaults in payment of contribution by the employer.

	ע	ciauns in payii	ient of contin	button by the employer	•	
क्र.स	Ť.	माह	मजदूरी	कर्मचारी का अंशदान	नियोजक का अंशदान	कुल
Sl.N	lo.	Month	Wages	Employees'	Employer's	Total
			_	contribution	contribution	
3.	3. नियोजक द्वारा चूक के लिए सूचित किए गए कारण					
Reasons advanced by the employer for default						
4. नियोजक द्वारा अनुपालन की संभावना						

3.	नियोजव	क द्वारा चूक के लिए सूचित किए गए कारण	
	Reaso	ns advanced by the employer for default	
4.	नियोजव	क द्वारा अनुपालन की संभावना	
	Prospe	ects of compliance by the employer	
5.	नियोजव	क द्वारा दूसरे पहलुओं में अनुपालन संबंधी स्थिति	
	Positio	on regarding compliance by the employer	
	in othe	er respects.	
	( <u>a</u> )	घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करना	
	(a)	Submission of Declaration Form	
	(ख)	अस्थाई पहचान कार्ड जारी करना	
	(b)	Issue of T.I.C.	
	( <del>1</del> 1)	पहचान पत्र का वितरण	
	(c)	Distribution of Identity Card	
	(ঘ)	वितरण के लिए लंबित पहचान पत्रों की अनुमानित संख्या	
	(d)	Rough idea of the No. of Identity Cards	
		pending for distribution.	
	(ਤੋ.)	अंशदान विवरणियां प्रस्तुत करना	
	(e)	Submission of RCs	
	(可)	दुर्घटना रिपोर्ट तथा एसिक-32 रिकॉर्ड प्रस्तुत करना	
	(f)	Submission of Accident Reports &	
		ESIC-32 record	
	(উ)	निम्नलिखित रिकॉर्ड का अनुरक्षण।Maintenance of	
	(g)	the following records.	
		(1) विनियम 32 के अंतर्गत रजिस्टर क्या इसे मजदूरी रोल	
		में जोड़ा गया है	
		(i) Register under Regulation 32 whether it is	
		incorporated in the wage roll itself.	
		(2) दुर्घटना पुस्तक	
		(ii) Accident Book	

(可) (h) (新)	नियोजक द्वारा उठाया गया कोई अन्य बिंदु और मौके पर दिया गया स्पष्टीकरण Points if any, raised by the employer and clarified on the spot. रिकॉर्ड प्रस्तुतीकरण में अनुभव की गई कोई कठिनाई	
(i)	Difficulties if any, experienced in the production of records.	
(河) (j)	नियोजक की ओर से विशेष तौर पर रिकॉर्ड की निर्भरता के संबंध में सामान्य सार। General summing-up of the position employer's side, particularly in regard to dependability of records.	
(ट) (k)	निरीक्षक द्वारा आगामी निरीक्षण के समय अनुपालन आदि तथा कोई अन्य ध्यान में रखने योग्य मदें। Compliance etc. and points if any to be kept in mind by the Inspector at the time of subsequent inspection.	
(ත) (l)	नियोजक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में सिफारिश, यदि कोई हो। Recommendation, if any, with regard to legal action against employer.	

''निगम हिंदी पत्राचार का स्वागत करता है''

#### भाग-घ

#### PART-D

## निरीक्षक के निरीक्षण पर टिप्पणियाँ

## Comments on Inspector's Inspection

विभिन्न मदों के तहत नियोजक द्वारा प्रस्तुत सूचना/ब्योरों में मदवार पाई गई विसंगतियाँ, यदि कोई हों।
 (यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त ीट संलग्न करें)
 Item-wise discrepancies if any observed in the information/details furnished by the Inspector

फोलियो/वाउचर

लैजर

संख्या

क्र.सं.

Sl.No.

मद की प्रकार

Nature of Item

अवधि

करने वाले अधिकारी, निरीक्षण रिपोर्ट की

गुणवत्ता पर अपनी अभ्युक्ति दें। If no discrepancies have been observed, the Inspecting Officer may give remarks on the quality

of the Inspection report.

Period

Item-wise discrepancies, if any observed in the information/details furnished by the Inspector under different items. (attach additional sheet, if necessary)

बीमा

द्वारा

राशि

निरीक्षक

सूचित

officer.

अधिकारी द्वारा पाई गई राशि

Amount observed by the

			Ledger Folio/ Voucher No.	Amount reported by the I.I.	
2.	क्या विसंगतियों तथा चूकों में से भारी लापरवाही तथा क नजर आती है। Whether the discrepand	र्तेव्य की अवहेलन cies and			
3.	omissions suggested gr negligence and derelict on the part of the Inspe यदि विसंगतियाँ नहीं पायी	cion of duty	T I		

	निरीक्षण करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक/Date:	Signature of Inspecting Officer
/D1	
स्थान/Place:	

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION सर्वेक्षण रिपोर्ट/SURVEY REPORT

## भाग-क/PART-A

1.	क्षेत्र/Region	2.	निरीक्षण डिवीजन/ Inspection Div.
3.	निरीक्षक का नाम	4.	सर्वेक्षण की तारीख
	Name of the Inspector		Date of Survey
5.	पिछले सर्वेक्षण की तारीख		
	Date of last Survey		
6.	फैक्टरी/स्थापना का नाम		
	Name of the Factory/Estt.		
7.	राज्य, जिला सहित पूर्ण डाक पता		
	Postal address including State Distt.		
8.	ताल्लुका/राजस्व ग्राम का नाम/हदबस्त संख्या		
	Name of Taluka/Revenue Village/Hadbust No.		
9.	क्या कार्यान्वयन क्षेत्र में है, यदि हाँ, तो क्षेत्र का नाम		
	Whether in the implemented area, if so, name of the		
	area.		
10	(i) नियोजक की कोड संख्या, यदि पहले से व्याप्त है		
	Employer's code no., if covered earlier.		
	(ii) पहले कारखाना/स्थापना को बंद किए जाने की तारीख		
	Date from which earlier factory/estt.closed down.		
	(iii) क्या इसी स्थान/गाला में कोई अन्य कारखाना/स्थापना		
	पहले कार्यरत था। यदि हाँ, तो आबंटित की गई कोड		
	संख्या का ब्यौरा दें।		
	Whether in the same place/Gala any other factory/		
	estt. was functioning earlier. If so, details of Code		
	No. allotted, if any		
11.	कर्मचारी(यों) का नाम जिससे संपर्क किया		
	Name & designation of the official (s) contacted.		

## भाग-ख/PART-B

1	( <del>_</del> )	क्या यह एक सार्वजनिक अथवा निजी लिमिटेड
1.	(क)	
		कम्पनी/साझेदारी/स्वामित्व वाली/मालिकाना/ सहकारी संस्था
		है(संस्था के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद/साझेदारी
		विलेख/संकल्प की प्रति संलग्न करें)।
		Whether it is Public or Private Ltd. Company
		Partnership/Proprietorship/Co-operative
	(a)	Society/ Ownership (attach copy of
		Memorandum & Articles of Association/
		Partnership Deed/Resolution
	(ख)	मौजूदा मालिक/प्रबंध निदेशक, निदेशक/प्रबंध
		साझेदारों/सहकारी सिमति के सिचव का नाम, मौजूदा तथा
		स्थायी निवासीय पता दें।
	(1.)	Give name, present & permanent residential
	(b)	address of present Proprietor/Managing
		Directors, Director/Managing Partners,
		Partners/Secretary of
		the Co-operative Society.
2.		कारखाना/स्थापना के शुरू करने की तारीख
		Date of Start of factory/estt.

2	()	कारखाना/स्थापना में चल रहे काम का स्वरूप			
3.	(क)				
	(a)	(a) Nature of work carried on in the factory/estt.			
	(ख)	क्या विनिर्माण प्रक्रिया में शक्ति का प्रयोग किया जाता है।			
		यदि हाँ, तो कब से (शक्ति से चलाई जाने वाली मशीन का			
		ब्यौरा दिया जाए)।			
	(b)	<i>'</i>			
	(0)	Whether power is used in the manufacturing			
		Process. If so, since when (details of machine to			
		be specified which are run by power).			
	(ग) कारखाने के परिसर/कारखाने के परिसर के बाहर आसन्न				
		नियोजक के माध्यम से अथवा प्रधान नियोजक के पर्यवेक्षण में			
		किये गये कार्य का स्वरूप।			
	(c)				
	(0)	Nature of work performed through immediate			
		employer at the factory premises/outside the			
		factory premises or under the supervision of the			
		Principal employer.			
4.	(ক)	क्या व्याप्ति योग्य है? यदि हाँ, तो संबंधित तारीखें जब			
		फैक्टरी में 10/20 व्यक्ति या 10/20 से अधिक कर्मचारी			
		नियोजित थे(आसन्न नियोजक द्वारा अस्थायी/अनियत तथा			
		`			
		उजरती दर कर्मचारियों को शामिल करके)।			
	(0)	Whether coverable? If so, relevant date when the			
	(a)	factory had 10/20 or more than 10/20 employees			
		(including temporary/casual and piece rated			
		employees engaged by the immediate employer).			
	(ख)	विनिर्माण प्रक्रिया के लिए शक्ति(पावर)के बारे में दस्तावेजी			
	( )	साक्ष्य का विवरण, मजदूरी पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या			
		जिस पर व्याप्ति आधारित है।			
	(1-)	-			
	(b)	Details of documentary evidence regarding use of			
		power in manufacturing process, no. of			
		employees employed for wages on which			
		coverage is based.			
5.	अगर	व्याप्ति योग्य नहीं है तो अव्याप्ति का स्प ट कारण बताएं।			
	If no	coverable please give the exact reason for non-			
		grage.			
6		कर्मचारी भवि य निधि अधिनियम के अधीन व्याप्त है? यदि हाँ,			
U		विभावास साथ व सिव आवासवस के अवसि व्याप है। बाद हा, न			
	If co	vered under EPF Act? if, so, Code No. and date of			
		rage.			
7.	(ক)	निरीक्षण किए गए रिकार्ड तथा रजिस्टरों की सूची और इनके			
		निरीक्षण की अवधि। यदि निरीक्षण नहीं किया गया है तो			
		इसके कारण तथा बकाया रिकार्ड अर्थात् अगले निरीक्षण की			
		तारीख को निर्धारित करने आदि के लिए की गई व्यवस्था का			
		उल्लेख करें।			
	(a)				
	(a)	List of records and registers and period for which			
		inspected, if not inspected, reasons thereto and			
		arrangement made with the employer for			
		inspection of the remaining records, viz. fixing			
L		of date of next inspection, etc.			
	(ख)	रिकार्डी के उक्त सत्यापन से सामने आए			
		विवरण/डाटा(महत्वपूर्ण सूचना को रिकार्ड किया जाये तथा			
		नियोजक से सत्यापित करवाया जाए)			
	(b)	ŕ			
	(0)	Particulars/data emerged from the said			
		verification of records (important information			
		should be recorded and got attested by the			
		employer).			

केवल उपांतिक(मार्जिनल) कारखानों के मामले में/IN CASE OF MARGINAL FACTORIES ONLY

8.	(क)	यिद कारखाने के परिसर में काम करने वाले व्यक्तियों की			
		संख्या 10/20 या उससे अधिक केवल तब बनती है जब			
		कार्यकारी साझेदारी/प्रबंधक/अंशकालिक कर्मचारियों अथवा			
		सामान्य रूप से कारखाना परिसर के बाहर काम करने वाले			
		कर्मचारियों को गमिल किया जाए तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के			
		पूरे, किन्तु संक्षिप्त ब्योरे, उनके पदनाम सहित दें जो पुनः			
		व्याप्ति की तारीख पर काम पर पाए गए हों(यदि आवश्यक हो			
		तो अतिरिक्त कागज का प्रयोग करें)।			
		If the number of employees working in the			
(	(a)	factory premises comes to 10/20 or more only by			
	(u)	inclusion of employees like working partners/			
		Managers/Part-time employees or employees			
		working ordinarily outside the factory premises,			
		give full and precise particulars of each such			
		person with their designations and found working			
		on the date of re-coverage, (use extra sheet if			
		necessary).			
	(ख)	ऐसे दस्तावेजों के ब्योरे दें, जिनसे यह पता चले कि उक्त			
		कर्मचारी कारखाने के परिसर में कार्य कर रहे थे।			
		Give particulars of documents, which may show			
	(b)	that the said employees were working in the			
		factory premises.			
	( <sub>1</sub> )	अन्य कोई अभ्युक्तियाँ			
	(c)	Any other remarks.			

		-		
स्था	न	/PI	lace:	

तारीख/Date: बीमा निरीक्षक के हस्ताक्षर
Signature of the Insurance Inspector